सभा-पटल पर रखे गये पत्र

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और विनियोग लेखे

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९६२ ।

(२) विनियोग लेखे (असैनिक), १९६०–६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी०—१६७/६२ और १६८/६२]

पूर्वी पाकिस्तान में हुए उपद्रवों और उसके परिणामस्वरूप हुए प्रव्रजन के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य-मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैंने १२ मई को अप्रैल के महीने में मालदा में हुये दुर्भाग्यपूर्ण उपद्रवों, जिनमें कुल १४ व्यक्ति—९ होली के दिन मार्च में और ५ व्यक्ति १६ और २० अप्रैल को—मारे गये थे, के संबंध में एक काफी विस्तृत वक्तव्य दिया था । मुर्शिदाबाद जिले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। आपको याद होगा कि तब पाकिस्तान के समाचारपत्रों में उन खबरों में काफी नमकमिर्च लगाकर बड़े बड़े अधिकारियों के आपत्तिजनक वक्तव्यों के साथ प्रकाशित किया गया था । उनके फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान के ढाका, राजशाही और अन्य कुछ जिलों में बड़े गम्भीर उपद्रव हुये थे। हमने उनके बारे में पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेजा था और पाकिस्तान सरकार को न्याय तथा व्यवस्था बहाल करने के लिये कुछ सक्रिय कदम उठाने के लिये कहा था। हमने अनुरोध किया था कि पूर्वी पाकिस्तान के दंगों में बेघर होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और अल्पसंख्यकों में पुनः आत्म विश्वास पैदा करने के लिये तुरन्त कदम उठाये ।

पाकिस्तान सरकार ने हमारा १२ मई के पत्र का उत्तर भेजा है। उसमें कुछ इस तरह कहा गया है जैसे पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगे कभी शुरू ही नहीं हुये थे। वहां यदि कभी साम्प्रदायिक किस्म की कुछ घटनायें हुई भी हैं, तो भारत में होने वाली साम्प्रदायिक घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप ही हुई थी । पाकिस्तान के उत्तर में यह तो स्वीकार किया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान में हुई घटनायें थीं काफी गम्भीर किस्म की। उसमें दरसा और अन्य स्थानों की खास घटनाओं के बारे में, जिनके बारे में हमने उनका ध्यान आकर्षित किया था, कुछ भी नहीं कहा गया है। हां, उसमें उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में पाकिस्तान सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का विस्तृत विवरण दिया गया है। मैं उसका एक भाग सभा में पढ़कर सुनाता हूं :—

"राजशाही जिले से, और सीमा के उस पार मुसलमानों पर हुये अत्याचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप जहां जहां भी तनातनी बढ़ गई थी, उन क्षेत्रों से आये हाल के समाचारों से पता चलता है कि पूर्वी पाकिस्तान में अब स्थिति बिलकुल सामान्य है और लगभग चार सप्ताह से ऐसी ही बनी है। वास्तव में, पूर्वी पाकिस्तान राइफिल्स की जो टुकड़ियां उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में भेजी गई थीं, अब धीरे धीरे वापस बुलाई

---

†मूल अंग्रेजी में

जा रही है। उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में लगभग १९०८ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उपद्रवों के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावशाली कार्यवाही करने के लिये पुलिस बड़ी सरगर्मी से जांच पड़ताल कर रही है। अनेक व्यक्तियों को अभियोग पत्र दिये जा चुके हैं और हर रोज कई को अभियोग पत्र दिये जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारी और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों के मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के क्षतिग्रस्त और जले हुये मकानों को फिर से खड़े कर रहे हैं। राजशाही जिले में ऐसे ९० प्रतिशत मकान फिर से खड़े कर दिये गये हैं और ५० प्रतिशत से अधिक लूटी हुई सम्पत्तियां उनके मालिकों को लौटा दी गई हैं। ऐसे भी कई उदाहरण देखने में आये हैं जिनमें मुसलमानों ने कई स्थानों पर काफी जोखिम उठाकर भी अपने हिन्दू पड़ोसियों का बचाव किया था।"

इससे स्पष्ट है कि पूर्वी पाकिस्तान में काफी गम्भीर किस्म का उपद्रव हुआ था। पाकिस्तान सरकार ने उसे काबू में करने के लिये एक बड़े पैमाने पर फौज का इस्तेमाल किया था। हमें भय था, और भय काफी उचित भी था कि पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक एक बड़ी तदाद में भारत में प्रव्रजन करेंगे। मई के पहले तीन सप्ताहों में राजशाही स्थित हमारे कार्यालय (सहायक उच्च आयुक्त) में ४,००० से अधिक इच्छुक प्रव्रजक गये थे। बाद के समाचारों से पता चला है कि पाकिस्तान सरकार ने उनको गांवों में वापस जाने को राजी कर लिया है। ढाका से आये हाल के समाचारों से पता चलता है कि हमारे उप उच्च आयुक्त के पास प्रव्रजन के लिये २,००० व्यक्तियों ने प्रार्थनापत्र भेजे हैं। (प्रव्रजन प्रमाणपत्र केवल ढाका-स्थित उप-उच्च आयोग द्वारा जारी किये जाते हैं)। वह उनको आवश्यक सहायता दे सकता है। लेकिन मैं सभा को बतलाना चाहता हूं कि इस बार पूर्व से पश्चिम की ओर कोई बहुत बड़ी संख्या में प्रव्रजन नहीं हुआ है। हमें जांच करने पर पता चला है कि राजशाही जिले में हुये उपद्रवों के तुरन्त बाद पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय के २०० व्यक्ति भारत में आये थे। उसके बाद मई में पश्चिमी बंगाल में ६०० से कुछ अधिक संख्या में लोग आये थे, जिनमें से ४०० के पास ऐसे प्रव्रजन प्रमाणपत्र थे, जो उपद्रवों से पहले जारी किये गये थे। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के बीच यात्रा करने वाले लोगों की संख्या देखने से ऐसा नहीं लगता कि उसमें कुछ असामान्यता हो। उदाहरण के लिये, अप्रैल के महीने में ११,६६४ हिन्दू पश्चिमी बंगाल में आये और १३,०१५ पश्चिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान गये थे। अप्रैल में १४,७७६ मुसलमान पश्चिमी बंगाल में आये थे और १४,२६४ पश्चिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान गये थे, मालदा में खूनखराबी की पाकिस्तानी पत्रों की अतिरंजित खबरों के बावजूद। मई महीने के पूरे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मई के पहले पखवारे में यात्रियों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी—केवल ६,४६४ हिन्दू आये और २,६७६ गये थे। मुसलमानों के संबंध में भी आंकड़ देखिये। वह और भी महत्वपूर्ण है। मई के पहल पखवारे में ६,४८७ मुसलमान पश्चिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान गये और ५,४३५ पश्चिमी बंगाल में आये थे। स्पष्ट है कि यदि पाकिस्तान के पत्रों में छपे अतिरंजित समाचारों में कोई सार होता तो ५,००० मुसलमान भारत में न आते। कम से कम उसी पखवारे में तो न आते जिसमें मालदा और मुर्शिदाबाद में दंगों और कत्लों की खबरें उड़ी थीं।

† **श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में हमारे उच्च आयोग ने पाकिस्तान से आने के इच्छुक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को सुविधायें देने से हाथ रोक लिया था, इस आधार पर कि वहां इतने अधिकारी नहीं थे जो उनका काम संभाल सकें ? मेरी

†मूल अंग्रेजी में

सूचना तो यह है कि भारत सरकार ने और अधिक प्रव्रजन के भय से उनको जानबूझ कर भारत आने मे रोक दिया था। क्यों ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ढाका स्थित हमारे उच्च आयोग ने पूरी जांच के बाद ही प्रव्रजन प्रमाणपत्र जारी किये हैं। उन्होंने न सुविधायें दी और न रोकीं। फिर भी भारत में अधिकारी बाद में इस पर विचार कर सकते हैं। लगता यह है कि लोगों ने एक बहुत बड़ी तादाद में प्रव्रजन प्रमाण पत्र मांगे थे, जिनमें स कुछ मामले विचाराधीन हैं। उनमें से बहुत स पाकिस्तानी अधिकारियों के समझाने पर अपने अपने गांवों को लौट भी गये थे। कारण जो भी रहा हो पाकिस्तान सरकार ने कुछ कदम तो उठाये थे। राजशाही और ढाका के उपद्रवों के बाद, पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसे खत्म करने और लोगों को बसाने तथा उनके लिये मकान खड़े करने के लिये फौज की सहायता ली थी। शायद उनकी वजह से कुछ लोग गांव से वापस लौट आये थे। जो भी हो, यहां जो ४०० व्यक्ति आये उनके पास उपद्रवों से पहले जारी हुये प्रमाणपत्र थे। इसलिये उपद्रवों से उसका कोई संबंध नहीं लगता। कुछ समय बाद २०० व्यक्ति बिना प्रमाणपत्रों के आये थे इसलिये यह आरोप उचित नहीं मालूम पड़ता कि भारतीय उच्च आयोग ने लोगों को भारत आने से रोका है। यह सही है कि हमने उनको यहां आने के लिये उत्साहित नहीं किया। यह नहीं कहा कि प्रमाणपत्र हों या न हों, भारत में आ सकते हो। वह तो गलत बात होगी। जाती तौर पर, मुझे तो ताज्जुब ही हुआ कि इतना सब उपद्रव होने के बाद भी भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत में इतना मामूली सा प्रव्रजन हुआ है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के बीच एक से दूसरी जगह आने वाले यात्रियों की संख्या काफी रहती है।

†**श्री बदरुद्दुजा** (मुर्शिदाबाद) : क्या मालदा में २२ मार्च, १९६२ को छः मुसलमान जिन्दा जलाये गये थे, तीन को इतना पीटा गया कि वे मर गये थे और एक आठ वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया गया था, और बाद में १६ अप्रैल को कई व्यक्तियों को पीट-पीटकर मार डाला गया था और इसलिये मालदा से मुसलमान एक बड़ी संख्या में भागे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य जिन्दा जलाये जाने की बात कहते हैं। उस दुखपूर्ण घटना का कारण यह था कि एक जलती हुई छत उन लोगों पर गिर पड़ी थी। उनको जलाया नहीं गया था, बल्कि एक जलते हुये घर की छत उनके ऊपर गिर पड़ी थी। इसका कुछ प्रभाव तो पड़ा ही होगा, लेकिन इतना तो नहीं पड़ा कि एक बड़ी तादाद में लोग भागना शुरू कर देते। मैंने दोनों ओर से होने वाले प्रव्रजन की एक तसवीर आपके सामने पेश कर दी है।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : माननीय सदस्य ने अभी जो प्रश्न पूछा था, उसके संबंध में क्या सरकार को जानकारी है कि मालदा में मरे उन व्यक्तियों में सभी मुसलमान नहीं, बल्कि लगभग पांच हिन्दू भी थे ? क्या प्रधान मंत्री जी ने जो संख्या बताई है उसमें हिन्दू भी शामिल नहीं हैं ? वह साम्प्रदायिक दंके जैसी कोई घटना नहीं थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं। जहां तक हमारी जानकारी है, मालदा में १४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जो सभी मुसलमान थे, जिनमें से ९ होली के दिन २२ मार्च को, और ५ बाद में १६ से २० अप्रैल के बीच मरे थे। उन ९ व्यक्तियों में ५–६ वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो जलती हुई छत ऊपर गिरने के कारण मरे थे। मेरा ख्याल है कि उनमें कोई भी हिन्दू नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में।